

**प्रेस विज्ञप्ति**

**थाना – अहरौला**

**टैम्पो में महिला का सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी का सामान बरामद**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 03.06.2024 को वादिनी मुकदमा सुमन पत्नी सर्वजीत राजभर ग्राम- भुरधरपुर थाना – तहबरपुर जनपद- आजमगढ़ द्वारा थाना अहरौला पर तहरीर दिया गया था कि वादिनी टैम्पो से अपने मायके अभयपुर से ससुराल जा रही थी कि टैम्पो में बैठी दो अज्ञात महिलाओं ने वादिनी का बैग, गहना 01 सोने का हार , 10 सोने की मुरिया चोरी कर लिये के सम्बन्ध में थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 271/24 धारा- 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 उदयशंकर तिवारी द्वारा किया जा रहा है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24.05.2024 उ0नि0 उदय शंकर तिवारी मय हमराह रात्रिगस्त के दौरान फुलरिया तिराहा पर मौजूद थे कि सूचना मिली कि 01 व्यक्ति व 01 महिला के साथ सकतपुर पुलिया के पास खडे है जो चोरी करने के फिराक मे है तथा उनके पास कुछ चोरी का सामान भी है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह द्वारा सकतपुर पुलिया से 01 महिला व 01 पुरुष (1. कलचन्द्र लोना पुत्र स्व0 चन्द्रभान लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 35 वर्ष, 2. कंचन लोना पत्नी मुकुलन्द्र लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष) को समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से 01 हार पिली धातू व 10 गुरिया पिली धातू बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 271/24 धारा 379/411 भादवि थाना अहरौला आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. मुकलचन्द्र लोना पुत्र स्व0 चन्द्रभान लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 35 वर्ष
2. कंचन लोना पत्नी मुकुलन्द्र लोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 32 वर्ष

**बरामदगी-** 01 हार पिली धातू व 10 गुरिया पिली धातू

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 उदय शंकर तिवारी, का0 अरविन्द्र कुमार यादव, का0 विशाल सोनकर थाना अहरौला आजमगढ़।

**थाना पवई**

**दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 23.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त चन्दन पुत्र इन्द्रेश ग्राम असमानपट्टी थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर ने शादी का झाँसा देकर वादिनी के साथ दुष्कर्म किया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0- 237/2024 धारा 376(3) व 4(2), 5(L) पाक्सो एक्ट बनाम चन्दन पुत्र इन्द्रेश ग्राम असमानपट्टी थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24.06.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्दन पुत्र इन्द्रेश ग्राम असमानपट्टी थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र करीब 24 वर्ष को लग्गुपुर पुलिया से समय करीब 09.15 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 237/24 धारा 376(3) व 4(2)/5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** चन्दन पुत्र इन्द्रेश ग्राम असमानपट्टी थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, हे0का0 इसरार शेख, हे0का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

**थाना – रौनापार**  
**किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना**– दिनांक 20.05.24 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी की पुत्री को अभियुक्त शुभम प्रजापति पुत्र फूलचन्द्र प्रजापति सा0 दसाई थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ बहला फुसला कर भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 212/24 धारा 363/366 भादवि0 बनाम शुभम प्रजापति पुत्र फूलचन्द्र प्रजापति सा0 दसाई थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया द्वारा की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण**- आज दिनांक 24.06.2024 को व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम प्रजापति पुत्र फूलचन्द्र प्रजापति सा0 दसाई थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को बिलरियागंज चौक से समय करीब 08.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0- 212/24 धारा 363/366 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त**- शुभम प्रजापति पुत्र फूलचन्द्र प्रजापति सा0 जमीन दसांव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास**- मुकदमा उपरोक्त

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**- व0उ0नि0 मधुसूदन चौरसिया, का0 अमरनाथ शर्मा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

**थाना बिलरियागंज**  
**मारपीट कर घायल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना**- दिनांक 03.06.2024 को वादी मुकदमा सूर्यभान सोनकर पुत्र स्व0 महगू सोनकर निवासी बिलरियागंज थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि विपक्षी 1-लव यादव व 2-वेद प्रकाश पुत्रगण रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ व 06 अज्ञात व्यक्ति वादी के बरामदे मे घुस कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दिये तथा जान से मारने के नियत से धार दार हथियार व कट्टा से वादी के भतीजे चमन सोनकर पर हमला कर दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 198/2024 धारा 34, 323, 307, 308, 452, 504, 506 भादवि0 व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी एसटी एक्ट बनाम (1) लव यादव पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष(2) वेदप्रकाश पुत्र रामगोपाल यादव निवासी बशीबाजार उकरौड़ा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष (3) 06 व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बलवन्त सिंह उर्फ मेघा सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ की नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण**- आज दिनांक 24.06.2024 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त बलवन्त सिंह उर्फ मेघा सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को सियरहा अण्डरपास से समय करीब 06.45 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**पंजीकृत अभियोग**- मु0अ0सं0- 198/2024 धारा 34/323/307/308/452/504/506 भादवि व 3(1)(द)/3(1)(ध)/3(2)(5) एससी एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त**- बलवन्त सिंह उर्फ मेघा सिंह पुत्र शिवकुमार सिंह निवासी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, हे0का0 रामनिवास यादव, का0 महेन्द्र मौर्या, का0 अरविन्द कुमार, म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

## थाना अतरौलिया

चोरी गये सामान के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी की साइकिल, पायल, 01 लाकेट, 02 थाली बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 22.06.2024 को वादिनी मुकदमा सर्वेश पुत्री सूर्यभान राजभर निवासी भगवानपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी के भाई जशराज पुत्र सूर्यभान राजभर व अन्य व्यक्तियों ने मिलकर घर में रखा सामान चोरी कर लिये तथा बेचकर शराब पी गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 228/24 धारा 457/380 भादवि0 बनाम 1. यशराज पुत्र सूर्यभान राजभर निवासी भगवानपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़, 2. अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1. मुकेश निषाद पुत्र राधेश्याम निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष, 2. दिनेश निषाद पुत्र सुग्रीम निषाद निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष, 3. श्रवन पुत्र राधेश्याम निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष, 4. रवि कन्नौजिया पुत्र मूलचन्द कन्नौजिया निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24.06.2024 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जशराज पुत्र सूर्यभान निवासी भगवानपुर थाना अतरौलिया आजमगढ़ को सेल्हरापट्टी अंडरपास से समय करीब 04.25 बजे चोरी की साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तों 1. मुकेश निषाद पुत्र राधेश्याम निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष, 2. दिनेश निषाद पुत्र सुग्रीम निषाद निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष, 3. श्रवन पुत्र राधेश्याम निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष, 4. रवि कन्नौजिया पुत्र मूलचन्द कन्नौजिया निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 228/24 धारा 457/380 /411भादवि थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. जशराज उर्फ भोला राजभर पुत्र सूर्यभान राजभर नि0 भगवानपुर थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
2. मुकेश निषाद पुत्र राधेश्याम नि0भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
3. दिनेश निषाद पुत्र सुग्रीम निषाद नि0 भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
4. सरवन पुत्र राधेश्याम नि0 भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।
5. रवि कन्नौजिया पुत्र मूलचन्द कन्नौजिया नि0 भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास-** मुकदमा उपरोक्त

**बरामदगी-** 01 साइकिल (एवन कंपनी), 01 परात (पीतल का), 01 लाकेट पीली धातु, 01 थाली (पीतल की), 01 जोड़ी पायल (चांदी की)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** उ0नि0 जफर अयूब, हे0का0 मनोज तिवारी, का0 रमेश कुमार, का0 मुकेश गुप्ता, का0 अजीत यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

## थाना गम्भीरपुर

मारपीट कर युवक की हत्या करने वाले सभी 06 अभियुक्त 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार; घटना में प्रयुक्त लाठी/डंडा

### बरामद

**पूर्व की घटना-** दिनांक 23.06.2024 को वादी मुकदमा सुरेन्द्र S/O तेरस ग्रा0 महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि विपक्षी 1.मनोज पुत्र पुनवासी उम्र-45 वर्ष 2.राजू पुत्र पुनवासी उम्र-39 वर्ष 3.चन्द्रशेखर पुत्र पुनवासी उम्र-48 वर्ष 4.चन्दन पुत्र चन्द्रशेखर उम्र-18 वर्ष 5. मोहित पुत्र मनोज उम्र-19 वर्ष 6. रोहित पुत्र मनोज उम्र-18 वर्ष समस्त निवासी ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ने वादी के भतिजे प्रदुम S/O वीरेन्द्र को लाठी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिये जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 233/24 धारा 323,504,308,304,34 भादवि बनाम 1.मनोज पुत्र पुनवासी उम्र-45 वर्ष 2.राजू पुत्र पुनवासी उम्र-39 वर्ष 3.चन्द्रशेखर पुत्र पुनवासी उम्र-48 वर्ष 4.चन्दन पुत्र चन्द्रशेखर उम्र-18 वर्ष 5. मोहित पुत्र मनोज उम्र-19 वर्ष 6. रोहित पुत्र मनोज उम्र-18 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी द्वारा की जा रही है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24/06/2024 को उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी मय हमराह को सूचना मिली कि द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त मुम्बई भागने की फिराक मे असाउरटीकर गाँव के पास मार्ग पर खडे है। इस सूचना पर उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी मय हमराह द्वारा अभियुक्तो 1.मनोज पुत्र पुनवासी उम्र-45 वर्ष, 2.राजू पुत्र पुनवासी उम्र-39 वर्ष, 3.चन्द्रशेखर पुत्र पुनवासी उम्र-48 वर्ष, 4.चन्दन पुत्र चन्द्रशेखर उम्र-18 वर्ष, 5. मोहित पुत्र मनोज उम्र-19 वर्ष, 6. रोहित पुत्र मनोज उम्र-18 वर्ष समस्त निवासी ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को गाँव असाउरटीकर मार्ग से समय करीब 8.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 06 लाठी/डंडा बरामद कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.मनोज पुत्र पुनवासी ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2.राजू पुत्र पुनवासी ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 3.चन्द्रशेखर पुत्र पुनवासी ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 4.चन्दन पुत्र चन्द्रशेखर ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
5. मोहित पुत्र मनोज ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
6. रोहित पुत्र मनोज ग्राम महंगूपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

**पंजीकृत अभियोग-** मु.अ.सं.- 233/2024 धारा 323,504,308,304,34 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

**बरामदगी-** घटना में प्रयुक्त 06 लाठी / डंडा

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-** उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी, HC निहाल सिंह पटेल, का0 सुरेश कुमार यादव, का0 अमित जायवाल, का.अमित यादव थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

**थाना रौनापार**  
**गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना-** दिनांक 31.01.2024 को प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता थाना महाराजगंज मय हमराह द्वारा इब्राहिमपुर पुलिया से 07 अभियुक्तों को तमंचा बनाने के उपकरण/कैक्ट्री तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया था, मौके से 07 देशी निर्मित तमंचा 315 बोर, 02 अर्ध निर्मित तमंचा 315 बोर व असलहा बनाने के अन्य उपकरण सामग्री बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना महाराजगंज पर मु0अ0सं0- 36/24 धारा 3/5/12/25 A Act पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आया कि गैंगलीडर प्रवीण पाण्डेय उर्फ मोनू पाण्डेय पुत्र इन्द्रजीत पाण्डेय R/o खलीफतपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़, सह अभियुक्त/सदस्य 1. बिजराज विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा सा0 त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज आजमगढ़ 2. मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 3. संजय कुमार पुत्र रामनाथ राम सा0 देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ 4. संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र उदयराज उर्फ उदयभान यादव R/O कुड़ही थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 5. राजीव कुमार उर्फ राजू पुत्र पलटू राम R/o देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ 6. अभिषेक यादव पुत्र रामनाथ उर्फ रामचरन सा0 ऐनवा थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकरनगर के साथ मिलकर अवैध तमंचा बनाने जैसे जघन्य अपराध कारित करता है।

➔ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक महाराजगंज श्री राजीव कुमार मिश्रा की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.04.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया था।

➔ जिसके क्रम में दिनांक 10.05.2024 को थाना महाराजगंज पर अभियुक्तों (1) प्रवीण पाण्डेय उर्फ मन्नु पाण्डेय पुत्र इन्द्रजीत पाण्डेय R/O खलीफतपुर थाना कप्तानगंज आजमगढ़ (2) बिजराज विश्वकर्मा पुत्र रामकेश विश्वकर्मा सा0 त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज आजमगढ़ (3) मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ (4) संजय कुमार पुत्र रामनाथ राम सा0 देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ (5) संजय उर्फ रविन्द्र यादव पुत्र उदयराज उर्फ उदयभान यादव R/O कुड़ही थाना महाराजगंज आजमगढ़ (6) राजीव कुमार उर्फ राजू पुत्र पलटू राम R/O देवारा हरखपुरा थाना महाराजगंज आजमगढ़ (7) अभिषेक यादव पुत्र रामनाथ उर्फ रामचरन सा0 ऐनवा थाना जहांगीरगंज अम्बेडकरनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 183/24 धारा 3(1) व 2(ख)22 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत किया गया है।

**गिरफ्तारी का विवरण-** आज दिनांक 24.06.2024 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्या मय हमराह द्वारा थाना महाराजगंज पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 183/24 धारा 3(1) व 2(ख)22 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ को उसके घर ग्राम मोहब्बतपुर से समय करीब 06.20 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

**पंजीकृत अभियोग-** मु0अ0सं0 183/24 धारा 3(1) व 2(ख)22 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना महाराजगंज आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** मोती विश्वकर्मा पुत्र रामनाथ विश्वकर्मा सा0 मोहब्बतपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष  
**आपराधिक इतिहास-**

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	36/24	3/5/12/25 आर्म्स एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़
2.	231/19	419/420/467/468/471 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
3.	232/19	419/420/467/468/471 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
4.	373/11	380/457 भादवि	मुबारकपुर	आजमगढ़
5.	406/12	3/5/25/27 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
6.	407/12	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
7.	367/11	307/324 भादवि	सिधारी	आजमगढ़
8.	506/11	307 भादवि 7 सीएलए एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट	सिधारी	आजमगढ़
9.	183/24	3(1)/2(ख)22 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट	महाराजगंज	आजमगढ़

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य, का0 विशाल मल्ल, का0 अवधेश यादव, म0का0 पूजा पासवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

## प्रेस विज्ञप्ति

### पुलिस अधीक्षक ने किया थाना सरायमीर व दीदारगंज का वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक- 24.06.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना सरायमीर एवं थाना दीदारगंज का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल कुमार वर्मा व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजूद रहे, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

#### थाना सरायमीर

- ➔ निरीक्षण के दौरान थाना सरायमीर के गार्द द्वारा संतोषनजक सलामी दी गयी।
- ➔ थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया, अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अपूर्ण है जिन्हे पूर्ण किये जाने हेतु 07 दिवस का समय एवं चेतावनी दी गयी।
- ➔ जनसुनवाई रजिस्टर चेक किया गया सभी प्रकरणों के फिडबैक लिये जा रहे है, जनसुनवाई कार्य संतोषजनक पाया गया।
- ➔ थाना परिसर की साफ सफाई संतोष जनक नही पाये जाने पर अच्छी साफ सफाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- ➔ थाना सरायमीर पर नियुक्त उ0नि0 विजय बहादुर सिंह की सेवा निवृत्त तिथि 31.07.2024 है, जिनका फिटनेस काफी अच्छा है तथा हल्का क्षेत्र के बारे मे अच्छी जनकारी है। जिन्हे पुलिस अधीक्षक द्वारा 2500/- का नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया।
- ➔ थाने पर नियुक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षियो को बीट बुक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- ➔ शस्त्र चालन के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगणों से जानकारी ली गयी तथा उनको बार-बार अभ्यास किये जाने का निर्देश दिया गया।
- ➔ थाने पर सैनिक सम्मेलन किया गया तथा थाना प्रभारी को नियमित रूप से सैनिक सम्मेलन कर कर्मचारीगण के समस्या निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➔ मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- ➔ थाना परिसर में अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाय तथा नियमानुसार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

#### थाना दीदारगंज

- ➔ निरीक्षण के दौरान थाना दीदारगंज के गार्द द्वारा सलामी संतोषनजक नही दी गयी।
- ➔ थाने पर नियुक्त मुख्य आरक्षी/आरक्षियो को बीट बुक पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- ➔ शस्त्र चालन के सम्बन्ध में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगणों से जानकारी ली गयी तथा उनको बार-बार अभ्यास किये जाने का निर्देश दिया गया।
- ➔ थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया, अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अपूर्ण पायी गयी जिन्हे पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➔ जनसुनवाई रजिस्टर चेक किया गया सभी प्रकरणों के फिडबैक लिये जा रहे है, सभी प्रकरणों के गुणवत्तपूर्ण निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

- ➡ थाना प्रभारी दीदारगंज को अवैध शराब/गोतस्करो के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने व अन्दर्जनपदीय सीमा होने के कारण नियमित रूप से चेकिंग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➡ थाना परिसर की साफ सफाई संतोष जनक नहीं पाये जाने पर अच्छी साफ सफाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➡ थाने पर सैनिक सम्मेलन किया गया तथा थाना प्रभारी को नियमित रूप से सैनिक सम्मेलन कर कर्मचारीगण के समस्या निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➡ मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
- ➡ थाना परिसर में अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाय तथा नियमानुसार निस्तारण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

### प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**थाना बरदह: 03 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।**

➡ दिनांक-15.02.2000 को वादी मुकदमा रामरूप पुत्र सुखनन्दन निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने थाना बरदह पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1. राधेश्याम राय पुत्र उमाशंकर, 2. अवधेश राय पुत्र रामअचल, 3. कमला राय पुत्र रामअचल समस्त निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ ने वादी मुकदमा को जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये लाठी डण्डों से मारा पीटा और जान माल की धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- C1/2000 धारा 323, 34, 504, 506 भादवि व 3(1)x SC/ST Act बनाम आदि 03 नफर पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 07 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.06.2024 को मा0 न्यायालय (स्पेशल SC/ST कोर्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तों 1. राधेश्याम राय पुत्र उमाशंकर, 2. अवधेश राय पुत्र रामअचल, 3. कमला राय पुत्र रामअचल समस्त निवासी जिवली थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को 01-01 वर्ष कारावास की सजा एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

## प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त राजू उर्फ राजीव स्व0 कालिका प्रसाद नि0 परसौली थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को 11 वर्ष कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना तरवां: अभियुक्त को राजू उर्फ राजीव 11 वर्ष कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक-20.04.2022 को वादी मुकदमा रोशन पुत्र स्व0 सोमराव निवासी भरतीपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दिया था कि विपक्षी राजू उर्फ राजीव स्व0 कालिका प्रसाद नि0 परसौली थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ने वादी मुकदमा की बहन और जीजा को बांस के धारदार डण्डे से मारकर घायल कर दिया वादी के जीजा को अस्पताल में ले जाने पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 74/2022 धारा 304, 323, 325 भादवि पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में कुल 09 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 24.06.2024 को मा0 न्यायालय (ASJ कोर्ट नं0-6) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजू उर्फ राजीव स्व0 कालिका प्रसाद नि0 परसौली थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को 11 वर्ष कारावास की सजा एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।